

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन

मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

नियोजन विभाग (टी०ए०सी०/ई०एफ०सी० प्रकोष्ठ)

देहरादून: दिनांक 28, सितम्बर, 2026

विषय:- शासकीय विभागों के सभी निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु **PMS-eDPR Portal** लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा विभागों के निर्माण कार्य संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Digital Project Management, DPR तैयार करने, स्वीकृति, निविदा, अनुबंध, कार्य निष्पादन एवं भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से PMS-eDPR Portal विकसित किया गया है। PMS-eDPR में परियोजना प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल यथा DPR, Tender, Agreement, Execution एवं Payment को एकीकृत किया गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति एवं समानान्तर कार्यवाहियों की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुश्रवण किया जाएगा।

2. उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्माण कार्य संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु PMS-eDPR Portal को दिनांक 02, अक्टूबर, 2026 से चरणबद्ध क्रम में लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- PMS-eDPR Portal के माध्यम से निर्माण कार्य के संबंध में सभी विभागों द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी-

- 1) समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल के माध्यम से संबंधित परियोजनाओं की DPR प्रविष्टि, अनुमोदन तथा परियोजना से संबंधित आगामी कार्यवाहियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन संपादित की जाएं।
- 2) DEFC/EFC स्तर पर परियोजनाओं/DPR के परीक्षण एवं अनुमोदन से संबंधित कार्यवाही PMS-eDPR Portal के माध्यम से ही की जाए, ताकि परियोजनाओं की Real time Monitoring की जा सके तथा संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ट्रेसेबल हो सके।
- 3) PMS-eDPR में स्वीकृत परियोजनाओं के Tender, Agreement, Execution एवं Payment से संबंधित कार्यों को निर्धारित workflow के अनुसार ऑनलाइन संचालित किया जाए।
- 4) IFMS Team एवं PMS-eDPR Team द्वारा आपसी समन्वय से PMS-eDPR एवं IFMS Portal का आवश्यक Integration सुनिश्चित किया जाए। IFMS में PMS-eDPR से संबंधित भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाने हेतु भुगतान के दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विभागीय आवश्यकतानुसार दोनों प्रकार से भुगतान की कार्यवाही संपादित की जा सके।

- 5) UK-Tender एवं IFMS के Integration में आने वाली तकनीकी/प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक सदस्य नामित किया जाए, जो संबंधित विभागों एवं PMS-eDPR Team के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगा।
- 6) PMS-eDPR Portal के सुचारु संचालन हेतु पर्याप्त आई.टी. आधारभूत संसाधनों की उचित व्यवस्था ITDA द्वारा समय रहते सुनिश्चित कर ली जाय ताकि Portal पर आने वाले सम्भावित आई.टी. कार्यभार के कारण किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो।
- 7) PMS-eDPR के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त विभाग अपने से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण हेतु Planning Department द्वारा पृथक से विभागवार Training Calendar जारी किया जाय।
- 8) PMS-eDPR Portal पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों के विभागाध्यक्ष विभागीय प्रक्रिया के अनुसार PMS-eDPR Portal में विभागीय Flow को Check कर विभागीय कार्यों/प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें।
- 9) प्रत्येक विभाग द्वारा PMS-eDPR के प्रभावी संचालन हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पोर्टल के उपयोग एवं डेटा की शुद्धता की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
- 10) PMS-eDPR के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक समस्या का समाधान संबंधित विभाग, NIC, ITDA एवं निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी द्वारा आपसी समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
- 11) प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन की अध्यक्षता में PMS-eDPR की समीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जायेगी।

4— इस संबंध में समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि PMS-eDPR पोर्टल को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत विभाग में लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा दिनांक 02, अक्टूबर, 2026 के पश्चात् कोई भी प्रकरण Offline डी0पी0आर0 के माध्यम से व्यवहृत नहीं किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

Digitally signed by
Anand Bardhan

Date: 25-09-2026

(आनंद बर्धन)
मुख्य सचिव

सं0 01/1145/EFC/TAC Online Software/SPC/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित —

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. वरिष्ठ निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं लेखा हकदारी देहरादून
4. निदेशक, ITDA — आवश्यक तकनीकी कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव